



भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
GOVERNMENT OF INDIA

जयपुर शाखा कार्यालय
Jaipur Branch Office

पता / Address : मानक भवन, पृथ्वीराज रोड़,
सी-स्कीम, जयपुर-302 005 (राज.)

Manak Bhawan, Prithviraj Road
C-Scheme, Jaipur-302 005 (Raj.)

दूरभाष / Tel. : 0141-2223282, 83, 84

फैक्स / Fax : 0141-2223281

ई-मेल / e-mail : jpbo@bis.gov.in

वेबसाइट / Web : www.bis.gov.in

हॉलमार्क वाली वस्तुओं की बिक्री के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र सं.: एचएम/सी-8490035020 / 774(जी)

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 के 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर यह ब्यूरो एतद्वारा निम्नलिखित को प्रमाण पत्र प्रदान करता है।

मैसर्स रनन्जय एक्सपोर्ट्स,

298 ए, गुरुरामदास मार्ग,

आदर्श नगर,

जयपुर-302004

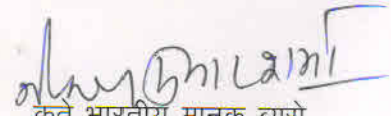
(राजस्थान)

यहाँ अनुसूची के पहले कॉलम में दिखाए गए, उक्त अनुसूची के दूसरे कॉलम में दिखाई गई वस्तु पर हॉलमार्क का उपयोग करने हेतु प्रमाणपत्र, और बिक्री आउटलेट से हॉलमार्क वाली वस्तु की बिक्री करना, जिसके लिए यह प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। उक्त अनुसूची के तीसरे कॉलम में दिखाए गए भारतीय मानक के लिए अनुरूपता का सत्यापन करने के पश्चात केवल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा मान्यता प्राप्त एसेईग एवं हॉलमार्किंग केन्द्र द्वारा ही वस्तुओं पर हॉलमार्क लगाया जाएगा।

अनुसूची		
हॉलमार्क	वस्तु	भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)
	चांदी के आभूषण एवं चांदी की कलाकृतियां	2112

2. इस प्रमाण पत्र का प्रचालन, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016, भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2017, भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्किंग विनियम, 2018 और तदनुसार जारी अनुरूपता मूल्यांकन योजना के लिए जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

3. यह प्रमाण पत्र तारीख से 11/12/2018 से 10/12/2023 तक वैध होगा और संबंधित विनियमों के अनुसार इसका नवीकरण किया जाएगा। आज तारीख 12/12/2018 को हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित किया गया।


कृत भारतीय मानक ब्यूरो
(नीरज कुमार शर्मा)
वैज्ञानिक-एफ एवं प्रमुख